

## 15- विक्रय का अनुबन्ध पत्र

(कब्जा हस्तान्तरित नहीं हो)

यह विक्रय अनुबन्धपत्र आज दिनांक ..... को श्री ..... पुत्र श्री .....  
 ..... उम्र ..... निवासी ग्राम/मकान नम्बर ..... मौहल्ला/वार्ड ..... तहसील  
 ..... जिला ..... जिसे आगे विक्रेता कहा गया है एवं जो इस विक्रय-इकरारनामे का  
 प्रथम पक्षकार है। एवं श्री ..... पुत्र श्री ..... उम्र ..... निवासी  
 ग्राम/मकान नम्बर ..... मौहल्ला/वार्ड ..... तहसील ..... जिला .....  
 जिसे आगे क्रेता कहा गया है एवं जो इस विक्रय-इकरारनामे का द्वितीय पक्षकार है के मध्य निष्पादित  
 किया गया है। चूंकि प्रथम पक्ष का एक कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड संख्या ..... जो मौहल्ला/वार्ड  
 ..... तहसील ..... जिला ..... में स्थित है, का मालिक है। उक्त अचल सम्पत्ति के ...  
 विलेख का पंजीकरण अनुबन्धकर्ता के पक्ष में उप निबन्धक कार्यालय.... में संख्या... दिनांक... को हुआ है  
 तथा जिसकी सीमायें एवं क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :—

विवरण

मौजा/मौहल्ला/ग्राम का नाम

दिशा भुजा का माप पड़ौस

पूर्व

पश्चिम

उत्तर

दक्षिण

क्षेत्रफल (एकड़/वर्ग मीटर/वर्ग फुट) ..... निर्माण का क्षेत्रफल (यदि कोई हो)...

..... उक्त कृषि भूमि/भूखण्ड/भवन का स्वामित्व प्रथम पक्षकार विक्रेता का है प्रथम  
 पक्षकार उक्त कृषि भूमि/भूखण्ड/भवन को विक्रय करना चाहता है उक्त मकान/भूखण्ड को विक्रय करने  
 का प्रथम पक्ष को पूर्ण अधिकार है प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड को किसी अन्य को  
 विक्रय, दान, बन्धक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उक्त मकान पर प्रथम पक्ष ही  
 काबिज है तथा निरन्तर उसके स्वामित्व में है। उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड पर कोई ऋण, कर एवं  
 अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड  
 विवादास्पद है। उक्त कृषि भूमि/मकान / भूखण्ड स्वत्व की दृष्टि से हर तरह से पाक एवं साफ है  
 जिसका एक मात्र स्वामी प्रथम पक्ष है।

चूंकि प्रथम पक्ष को अपने निजी एवं पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की आवश्यकता है  
 इसलिए उक्त कृषि भूमि/ मकान/भूखण्ड को ..... रूपये (अक्षरों में) .....  
 रूपये जिसके आधे ... (अक्षरों में) ..... रूपये होते हैं में विक्रय का प्रस्ताव प्रथम पक्ष द्वारा  
 द्वितीय पक्ष के समक्ष रखा गया जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अतएव यह विक्रय  
 इकरारनामा साक्षात्कृत करता है

1. यह कि उक्त विक्रेता प्रथम पक्ष ने क्रेता द्वितीय पक्ष से उक्त कृषि भूमि/मकान/भूखण्ड के प्रतिफल की  
 धनराशि ..... रूपये अक्षरों में ..... रूपये में विक्रय करने का करार  
 किया है जिसे द्वितीय पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। उक्त करार हेतु प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से रूपये .....  
 ..... पेशगी प्राप्त कर लिये है तथा शेष राशि विक्रय पत्र निष्पादित करने पर लिये जाने का करार करते हैं।

2. यह कि प्रथम पक्ष उक्त करार के अनुसरण में विक्रय पत्र का निष्पादन दिनांक/अवधि ..... में कर  
 सम्पत्ति का हस्तान्तरण द्वितीय पक्ष को कर देगा। तथा द्वितीय पक्ष शेष धनराशि रूपये ..... को भुगतान  
 प्रथम पक्ष को कर देगा।

3. यह कि निश्चित अवधि में शेष धनराशि का भुगतान नहीं करने पर प्रथम पक्ष को उक्त करार समाप्त  
 करने का अधिकार होगा तथा पेशगी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. यह कि शेष धनराशि के भुगतान पर द्वितीय पक्ष विक्रय पत्र निष्पादित करवाकर अचल सम्पत्ति का  
 कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, जिसमें चूक करने पर प्रथम पक्ष क्षति पूर्ति के लिये दायी होगा।

5. यह कि विक्रय पत्र के निष्पादन पर पंजीयन व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।

6. अन्य कोई हो .... ।

अतएव उपरोक्त शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने बिना किसी दबाव के तथा अपने पूर्ण होशहवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये हैं। साक्षीगण

(1) हस्ताक्षर साक्षी ..... हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता

नाम .....

पता .....

(2) हस्ताक्षर साक्षी ..... हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता

नाम .....

पता .....